METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन सश्रम कारावास तथा 55,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एडीजीसी श्री विजय शंकर शुक्ला

पैरोकार का0 सन्तोष कुमार तिवारी

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा रविन्द्र प्रताप पाण्डेय के द्वारा दिनांक 10.10.2021 समय 22.34 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र को जान से मारने की धमकी देना तथा एक राय होकर हत्या कर देने पर थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0 446/2021 धारा 302/307/506/34 भादवि कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 23.01.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे-4 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तगण को *आजीवन सश्रम कारावास एवं 55,000 रुपये अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। अभियुक्तगण को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्तगण को *आजीवन सश्रम कारावास।*
- *अभियुक्तगण को 55,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त साधारण कारावास*

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- ***1.खेमचन्द्र तिवारी उर्फ गब्बर पुत्र अवध शरन तिवारी, 2.अंकित तिवारी, 3.अक्षय तिवारी पुत्रगण हेमचन्द्र तिवारी निवासीगण रौजा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।***